संख्या-35/2016/1417/छत्तीस-2-2016

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- श्रमायुक्त,
उ0प्र0, कानपुर।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

श्रम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 सितम्बर, 2016

विषय:- मा0मुख्य मंत्री कार्यालय हेतु मेगा काल सेन्टर की स्थापना एवं संचालन परियोजना हेतु आवश्यक सूचनांये उपलब्ध कराना ।

महोदय,

उपर्युक्त परियोजान्तर्गत उ0प्र0भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिको हेतु संचालित साईकिल सहायता योजना का चयन किया गया है। योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों से आउट बाउण्ड कालिंग द्वारा फीड बैक प्राप्त करने हेतु उनके मोबाइल नम्बर उक्त कार्य हेतु चयनित संस्था यू0पी0डेस्को को उपलब्ध कराया जाना है।

2- इस संबंध में यू0पी0डेस्को द्वारा निरन्तर बैठक की जा रही है तथा दिनांक 02-09-2016 को विशेष सचिव मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में लाभार्थियों के दूरभाष/मोबाइल नम्बर एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। सचिव, बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त योजनान्तर्गत कुल लाभाथी 23,05,989 के सापेक्ष अब तक 55,051 लाभार्थियों के ही दूरभाष/मोबाइल नम्बर जनपदों से प्राप्त हुए हैं यह स्थिति अत्यन्त असन्तोषजनक है।

3- अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अभियान चलाकर साईकिल सहायता योजना के समस्त लाभार्थियों के दूरभाष/मोबाइल नम्बर एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने हेतु तत्काल कार्यवाही करने का कष्ट करें। भविष्य में योजनान्तर्गत समस्त लाभार्थियों के मोबाइल नम्बर, पता एवं यथासंभव आधार संख्या के विवरण भी अवश्य प्राप्त किए जाए।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-35/2016/1417/छत्तीस-2-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्तानुसार यथापेक्षित कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 सचिव, उ0प्र0भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को उनके पत्र संख्या-3932 भ0नि0बो0-(937)/2015 दिनांक 01-09-2016 के संदर्भ में ।

2 समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

परशुराम प्रसाद
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।